बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक 22/09/26

प्र0–I–(DMF)–05/2024 6226 **/एम0** खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 67) यथा संशोधित 2015 की धारा 9ख के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (4) और धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना, कार्यों और कार्य करने के तरीके तथा खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और फायदे के लिए वृहद और लघु खनिजों के समानुदान धारकों द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान को किए जाने वाले भुगतान की राशि को विनियमित करने एवं इससे जुड़े उद्देश्यों के लिए एतद् द्वारा बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली, 2018 से संबंधित निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

(1) **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–**

(i) यह नियमावली बिहार जिला खनिज फाउंडेशन (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(ii) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त मानी जाएगी।

(2) **नियम– 2 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–** (1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित)

ख) **"प्रभावित क्षेत्र"** से अभिप्रेत है, खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम PMKKKY दिशा–निर्देशों में यथा परिभाषित क्षेत्र

ग) **"प्रभावित लोग"** से अभिप्रेत है, खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम PMKKKY दिशा–निर्देशों में यथा परिभाषित लोग

(घ) **"लाभार्थी"** से अभिप्रेत है, प्रबंधन समिति द्वारा पहचाने गए प्रभावित व्यक्ति।

(ङ) **"जिला खनिज प्रतिष्ठान"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 9ख के अनुसार खनन या खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित सभी जिलों में सरकार द्वारा गैर–लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक वैधानिक न्यास (ट्रस्ट);

च) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार।

छ) **"शहरी स्थानीय निकाय"** से अभिप्रेत है, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय–समय पर यथा संशोधित) के उपबंधों के अधीन विधिवत निर्वाचित शहरी स्थानीय संस्थाएँ जैसे नगर परिषद, नगरपालिका परिषद् आदि।

ज) **"ग्राम पंचायत"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(घ) और 243(ख) के अधीन यथा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था।

(झ) **"ग्राम सभा"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ख) के अधीन यथा परिभाषित ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में सम्मिलित किसी ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था।

(ञ) **"नियमावली"** से अभिप्रेत है बिहार जिला खनिज फाउंडेशन (संशोधन) नियमावली, 2026;

ट) **"न्यास"** से अभिप्रेत है, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास जो बिहार सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एक वैधानिक न्यास है, जो इस नियमावली के अधीन अधिसूचित अपने स्वयं के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

ठ) **"PMKKKY"**, से अभिप्रेत है, प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना।

ड) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगें जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 67) यथा संशोधित 2015 में, उनके लिए निर्दिष्ट हैं या जैसा कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 समय–समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अधीन परिभाषित किया जाय।

(3) नियम– (4) शीर्षक सहित निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

4– जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की संरचना और प्रबंधन –

i. जिला खनिज फाउंडेशन के सुचारू संचालन के लिए शासी परिषद् एवं प्रबंधन समिति का गठन निम्न रूप में किया जाता है:–

(क) शासी परिषद्

क्र० सं०	सदस्यों का पदनाम	शासी परिषद् में विनिर्दिष्ट पदनाम
1	समाहर्त्ता	अध्यक्ष
2	उप विकास आयुक्त	सदस्य
3	अपर समाहर्ता	सदस्य
4	सहायक निदेशक खान/ खनिज विकास पदाधिकारी	सदस्य सचिव
5	संसद सदस्य, लोकसभा	सदस्य
6	संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
7	विधान सभा सदस्य	सदस्य
8	विधान परिषद् सदस्य	सदस्य
9	जिला लेखा पदाधिकारी	सदस्य
10	संबंधित जिले के खनिज समानुदान धारकों से दो प्रतिनिधि (एक वृहद खनिज से और दूसरा लघु	सदस्य

	खनिज से)।	
11	खनन प्रभावित क्षेत्र से समाहर्त्ता द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति।	सदस्य
12	समाहर्त्ता द्वारा नामित कोई अन्य पदाधिकारी/ पदाधिकारियों।	सदस्य

(ख) प्रबंधन समिति

क्र० सं०	सदस्यों का पदनाम	प्रबंधन समिति में विनिर्दिष्ट पदनाम
1	समाहर्ता	अध्यक्ष
2	उप विकास आयुक्त	सदस्य
3	अपर समाहर्ता	सदस्य
4	सहायक निदेशक खान/ खनिज विकास पदाधिकारी	सदस्य सचिव
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी	सदस्य
6	असैनिक शल्य चिकित्सक	सदस्य
7	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
8	जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य
9	जिला समन्वयक, जीविका	सदस्य
10	जिला लेखा पदाधिकारी	सदस्य
11	संबंधित अंचल/जिला के राज्य कर संयुक्त/उप आयुक्त	सदस्य
12	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य
13	समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी।	सदस्य

ii. अध्यक्ष ऐसे अन्य अधिकारियों को फाउंडेशन की बैठकों में आमंत्रित कर सकेंगे, जिन्हें वे आवश्यक समझें।

iii. फाउंडेशन के शासी परिषद् और प्रबंधन समिति के लिए कोरम (गणपूर्ति) सदस्यों का पचास प्रतिशत होगा।

iv. यदि किसी जिले में लोक सभा के एक संसद सदस्य है, तो उस जिले का लोकसभा सांसद शासी परिषद् का सदस्य होगा। यदि किसी जिले में लोकसभा के एक से अधिक संसद सदस्य हैं, तो खनन प्रभावित क्षेत्रों वाले सभी संसद सदस्य शासी परिषद् के सदस्य होंगे, जहाँ खनन प्रभावित क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है।

V. यदि किसी लोक सभा सांसद का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में पड़ता है, तो लोक सभा सांसद ऐसे सभी जिलों की शासी परिषद् का सदस्य होगा जहाँ खनन प्रभावित क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है।

vi. बिहार से राज्य सभा सांसद अपने द्वारा चुने गए एक जिले के शासी परिषद् के सदस्य होंगे। (राज्य सभा सांसद अपने द्वारा चुने गए जिले का

नाम खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करेंगे, जो संबंधित जिला दंडाधिकारी / समाहर्त्ता को सूचित करेंगे)।

vii. खनन प्रभावित क्षेत्र वाले जिले के विधान सभा सदस्य (विधायक) शासी परिषद् के सदस्य होंगे, जहाँ खनन प्रभावित क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। यदि किसी विधायक का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में आता है, तो विधायक उन सभी जिलों की शासी परिषद् का सदस्य होगा, जहाँ खनन प्रभावित क्षेत्र उसके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है।

viii. बिहार विधान परिषद् के सदस्य (एमएलसी) अपने द्वारा चुने गए एक जिले के शासी परिषद के सदस्य होंगे। (एमएलसी अपने द्वारा चुने गए जिले का नाम खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करेंगे, जो संबंधित जिला दंडाधिकारी / समाहर्त्ता को सूचित करेंगे)।

ix. शासी परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। शासी परिषद् की बैठक की तिथि संसद सदस्यों जो शासी परिषद् के सदस्य हैं, की सुविधा के अनुसार तय की जाएगी।

x. प्रबंधन समिति में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि या मनोनीत गैर–सरकारी सदस्य नहीं होगा।

xi. प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

(4) नियम– 6 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

i. **शासी परिषद् निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी –**

क) शासी परिषद् को ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

ख) प्रबंधन समिति की सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

ग) जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की योजनाओं, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अनुमोदित करना।

घ) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना और उन्हें हटाना।

ii. **प्रबंधन समिति निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी :–**

क) प्रबंधन समिति को ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

ख) पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रबंधन समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात:–

i. जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के लिए योजना और विजन दस्तावेज तैयार करना।

ii. जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के माध्यम से शुरू की जाने वाली योजनाओं की पहचान करना तथा कार्यान्वयन के लिए उन्हें प्राथमिकता देना।

iii DMF के कामकाज के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना।

iv. पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना तैयार करना तथा उसे अनुमोदन के लिए शासी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना।

v. वार्षिक योजनाओं और आरंभ की गई स्कीमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना।

vi. वार्षिक योजना के अंतर्गत अनुमोदित योजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान करना तथा ऐसी योजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जिला खनिज फाउंडेशन की निधियों को चयनित एजेंसियों को वितरित करना;

vii. "प्रभावित क्षेत्रों" और "प्रभावित लोगों" की सूची तैयार करना, बनाए रखना और अद्यतन करना।

viii. जिला खनिज फाउंडेशन निधि को सरकार की नीतियों और निर्देशों के अनुसार तत्परतापूर्वक नियोजित और निवेशित करना।

ix. जिला खनिज फाउंडेशन के नाम से बैंक खाते खोलना तथा ऐसे खातों और निवेशों का संचालन करना।

x. जिला खनिज फाउंडेशन की निधि के उपयोग की प्रगति का अनुश्रवण करना।

xi. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित खातों को अनुमोदन हेतु शासी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना।

xii. जिला खनिज फाउंडेशन के कार्यों के लिए सरकार की नीतियों और निर्देशों के अनुसार संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

ग) DMF के अंतर्गत "उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों" एवं "अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों" के लिए किए जाने वाले कार्यों को अनुमोदित करना।

घ) ट्रस्ट के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए तथा PMKKKY के दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अन्य गतिविधियाँ करना।

ङ) न्यास की बैठकों को आयोजित करना।

च) जिला खनिज फाउंडेशन की निधि के उपयोग की प्रगति का अनुश्रवण करना

छ) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार न्यास की वार्षिक योजना का समन्वय, समेकन और विकास करना।

ज) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य गतिविधियाँ संचालित करना।

(5) नियम 6 के बाद एक नया उप नियम– 6 (1) एवं (2) निम्न प्रकार जोड़ा जायेगा :–

6 (1) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन –

राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन निम्न रूप में किया जाता है:–

क्र० सं०	सदस्यों का पदनाम	राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति में विनिर्दिष्ट पदनाम
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्त्व विभाग	सदस्य सचिव
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य
9	खान मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि	सदस्य

(2) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की शक्तियाँ एवं कार्य :–

(i) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति DMF के प्रदर्शन और पारदर्शी मानदंडों के अनुपालन, DMF की लेखा परीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुश्रवण करेगी।

(ii) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(iii) निदेशक, खान राज्य में DMF के अनुश्रवण के लिए एक राज्य स्तरीय नोडल DMF कोषांग का गठन करेंगे और राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे।

(6) नियम– 8 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

निधि को जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, (जिला का नाम) के नाम से बचत बैंक खाते के माध्यम से किसी अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा और ऐसे खाते का संचालन तीन हस्ताक्षरकर्ताओं अर्थात अध्यक्ष, सदस्य सचिव और अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए गए

किसी एक सदस्य में कम से कम दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा, जिसमें से अध्यक्ष अनिवार्य रूप से एक हस्ताक्षरकर्त्ता रहेंगें।

(7) नियम 10 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

अंशदान के भुगतान का तरीका –

DMF को भगुतान, बैंक ड्राफ्ट जो जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, (जिले का नाम) के पक्ष में देय होगा, के द्वारा या इस नियमावली के नियम 8 में विनिर्दिष्ट DMF के बैंक खाते में ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस नियमावली में निर्दिष्ट दर पर किया जायेगा।

(8) नियम 11 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

जिला खनिज फाउंडेशन निधि का व्यय/उपयोगिता –

1. जिला खनिज फाउंडेशन के तहत प्रोदभूत निधि का व्यय और उपयोग भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश संख्या एफ.एन. 16/53/2022–एम.IV दिनांक 15.01.2024 (अनुलग्नक–I) द्वारा जारी PMKKKY दिशा–निर्देशों में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किसी भी अद्यतन निर्देश के अनुसार किया जाएगा।
2. जिला खनिज फाउंडेशन, भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश संख्या एफ. एन. 16/53/2022–एम.IV दिनांक 15.01.2024 (अनुलग्नक–I) द्वारा जारी PMKKKY दिशा–निर्देशों में जारी सभी दिशा–निर्देशों और निर्देशों या समय–समय पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अद्यतन निर्देश और/या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा अन्य योजनाएं, जैसा लागू हो, का पालन करेगा।

(9) नियम 12 का उप नियम– 3 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

लेखा संधारण और लेखापरीक्षा :–

3. लेखापरीक्षा के बाद जिला खनिज फाउंडेशन राज्य स्तरीय नोडल DMF कोषांग को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसे राज्य स्तरीय निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) नियम– 13 का उप नियम– 2 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

वार्षिक प्रतिवेदन :–

2. वार्षिक प्रतिवेदन, फाउंडेशन न्यास की शासी परिषद् द्वारा अनुमोदन की तिथि से एक माह के अन्दर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और फाउंडेशन न्यास की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(11) नियम– 14 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

फाउंडेशन को देय राशि का अनुश्रवण :–

प्रत्येक पट्टाधारक/खनिज समानुदानधारक को फाउंडेशन को देय राशि, संबंधित जिले द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक खाते में जमा करनी होगी। सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी प्रत्येक पट्टाधारक/खनिज समानुदानधारक द्वारा देय और भुगतान की गई राशि का एक रजिस्टर बनाए रखेगा और हर महीने के अंत में शासी परिषद् के अध्यक्ष को उसका मासिक समेकित विवरण प्रस्तुत करेगा।

(12) नियम– 15 शीर्षक सहित निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
प्रभावित क्षेत्रों और आच्छादित लोगों की पहचान –

खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या एफ.एन.16 / 53 / 2022–एम.IV दिनांक 15.01.2024 (अनुलग्नक I) द्वारा जारी PMKKKY दिशा–निर्देशों में उल्लेखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(13) नियम– 17 के बाद एक नया नियम– 18 जोड़ा जायेगा :–
नियम– 18
अन्य प्रावधान –

इस नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त शेष सभी प्रावधान खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या एफ.एन.16 / 53 / 2022–एम.IV दिनांक 15.01.2024 (अनुलग्नक I) द्वारा जारी PMKKKY दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा, जिसका ब्यौरा परिशिष्ट–I में संलग्न है और / अथवा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित रीति से किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0–I–(DMF)–05 / 2024–6226 / एम0, पटना, दिनांक 22/09/26
प्रतिलिपि :–अवर सचिव, (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो हार्ड प्रति एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. कृपया अनुरोध है कि इसकी 150 (एक सौ पचास) प्रतियाँ मुद्रित कर खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0–I–(DMF)–05 / 2024–6226 / एम0, पटना, दिनांक 22/09/26
प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0–I–(DMF)–05 / 2024–6226 / एम0, पटना, दिनांक 22/09/26
प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0–I–(DMF)–05 / 2024–6226 / एम0, पटना, दिनांक 22/09/26
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक / सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी / खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांकः–प्र0–I–(DMF)–05 / 2024–6226 / एम0, पटना, दिनांक 22/09/26
प्रतिलिपिः–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 15.09.2026 की बैठक में मद संख्या–13 के विरूद्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0–I–(DMF)–05 / 2024–6226 / एम0, पटना, दिनांक 22/09/26
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0–I–(DMF)–05 / 2024–6226 / एम0, पटना, दिनांक 22/09/26
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–प्र0–I–(DMF)–05 / 2024–6226 / एम0, पटना, दिनांक 22/09/26
प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नक–I

संचिका संख्या 16/53/2022–एम.IV
भारत सरकार
खान मंत्रालय

नई दिल्ली, शास्त्री भवन
दिनांक 15 जनवरी, 2024

आदेश

जबकि, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा जाएगा) देश में खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का प्रावधान करता है।

और जबकि, अधिनियम की धारा 9ख की उपधारा (1) में यह अधिदेश दिया गया है कि राज्य सरकारें अधिसूचना द्वारा खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित देश के प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (प्रतिष्ठान) (डीएमएफ) की स्थापना करेगी।

और जबकि, अधिनियम की धारा 9ख की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि डीएमएफ का उद्देश्य खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित तरीके से कार्य करना होगा।

और चूंकि, अधिनियम की धारा 9ख की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि जिला खनिज कोष की संरचना और कार्य राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे।

और जबकि, अधिनियम की धारा 9ख की उपधारा (3) के परन्तुक में कहा गया है कि केंद्र सरकार डीएमएफ द्वारा निधि की संरचना और उपयोग के संबंध में निर्देश दे सकती है।

और जबकि, केन्द्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के आदेश संख्या 16/7/2015–एम.VI (भाग) के तहत राष्ट्रीय हित में संबंधित राज्य सरकारों को डीएमएफ के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में 'प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना' (पीएमकेकेकेवाई) को शामिल करने का निर्देश दिया था।

और जबकि, 23 राज्यों में 644 डीएमएफ स्थापित किए गए हैं, जिनसे लगभग 86,000 करोड़ रुपये प्रोद्भूत हुए हैं, लगभग 80,000 करोड़ रुपये की लागत की लगभग 3,20,000 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं तथा खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के विकास और कल्याण के लिए लगभग 1,71,000 परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

और जबकि, खान मंत्रालय, भारत सरकार को पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के प्रभाव में सुधार लाने, कार्यान्वित परियोजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और पीएमकेकेकेवाई योजना अंतःक्षेप के दायरे को व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों सहित हितधारकों से विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं।

और जबकि, खान मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (2015) पर प्राप्त अनेक सुझावों की जाँच की है और डीएमएफ द्वारा निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी करना आवश्यक समझा है।

अतः अब, केन्द्र सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख की उपधारा (3) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खान मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के आदेश संख्या 16/7/2015–एम.VI (भाग) को, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से छोड़ी गई बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को एतदद्वारा निर्देश देती है कि वे इसके साथ संलग्न संशोधित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024 (पीएमकेकेकेवाई 2024) को जिला खनिज फाउंडेशनों के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में शामिल करें और उक्त योजना को कार्यान्वित करें।

(डॉ. वीणा कुमारी डर्मल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक: संशोधित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, 2024

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव
2. संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. माननीय खान मंत्री के निजी सचिव
2. माननीय खान राज्य मंत्री के निजी सचिव

1. सचिव (खान) के पीएसओ

परिशिष्ट–I

भारत सरकार
खान मंत्रालय
प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)
संशोधित दिशानिर्देश

जनवरी 2024

अनुक्रमणिका

- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) परिचय
- पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत आच्छादित किए जाने वाले प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान
- सामान्य दिशानिर्देश
- निधियों का उपयोग
- डीएमएफ की संरचना और कार्य
- पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना
- डीएमएफ से निधि अंतरण पर प्रतिबंध
- अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- लेखा परीक्षा
- वार्षिक रिपोर्ट
- राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति
- शिकायत निवारण
- अनुपालन तंत्र

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)

परिचय

वर्ष 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में अन्य बातों के साथ–साथ संशोधन किया गया था, जिसमें एक नई धारा 9ख लाई गई, जो खनन कार्यों से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना का प्रावधान करती है। डीएमएफ का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित तरीके से काम करना है। डीएमएफ को खनन पट्टाधारकों के वैधानिक अंशदान से वित्त पोषित किया जाता है।

सितंबर 2015 में, केंद्र सरकार ने डीएमएफ द्वारा कार्यान्वित होने वाले प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) तैयार की और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हित में संबंधित राज्य सरकारों को डीएमएफ के लिए उनके द्वारा तैयार नियमावली में पीएमकेकेकेवाई को शामिल करने और उक्त योजना को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया।

डीएमएफ में प्राप्त होने वाली निधि का उपयोग करके संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमकेकेकेवाई योजना का समग्र उद्देश्य (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना है, और ये परियोजनाएँ/कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार की चल रही मौजूदा योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक होंगे; (ख) खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर खनन के दौरान और बाद में पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना/कम करना; और (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 केंद्र सरकार को डीएमएफ द्वारा निधियों की संरचना और उपयोग के संबंध में निर्देश देने की अधिकार देता है। केंद्र सरकार ने डीएमएफ की संरचना और कार्यों के संबंध में राज्य सरकारों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

क) व्यापक जनहित में सांसदों, विधायकों और एमएलसी को शासी परिषद् में शामिल करने के लिए दिनांक 23.04.2021 का आदेश।

ख) दिनांक 12.07.2021 का आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिला खनिज फाउंडेशन से किसी भी तरह से राज्य के खजाने या राज्य स्तरीय कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य निधि या योजनाओं में कोई धनराशि अंतरित नहीं की जाएगी और जिला खनिज फाउंडेशन कोष से किसी भी व्यय की मंजूरी या अनुमोदन राज्य स्तर पर नहीं किया जाएगा।

ग) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए दिनांक 24.06.2022 का आदेश

खनन प्रभावित क्षेत्र और लोगों के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए डीएमएफ निधि का उपयोग करके कार्यों का कार्यान्वयन।

डीएमएफ निधि के प्रभावी उपयोग के लिए पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार/संशोधन करने के लिए जून 2022 में एक समिति का गठन किया गया था। राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 9ख (3) के तहत निम्नलिखित संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

1. पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों और आच्छादित लोगों की पहचान

1.1 प्रभावित क्षेत्र

क. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र – वे गाँव और ग्राम पंचायतें या शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) जिनके भीतर खदानें (गौण खनिजों से भिन्न) स्थित हैं और चालू हैं। ऐसे खनन क्षेत्र पड़ोसी गाँव/शहर, प्रखंड या जिले या यहाँ तक कि राज्य तक फैले हो सकते हैं।

i. किसी खान या खान समूह से ऐसी परिधि के भीतर का क्षेत्र, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

ii. वे गांव/वार्ड जिनमें खदानों से विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनर्स्थापित/पुनर्वासित किया गया है।

iii. ऐसे गांव/वार्ड जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से निर्भर हैं तथा जिनके पास परियोजना क्षेत्रों पर भोगाधिकार और पारंपरिक अधिकार है, उदाहरण के लिए, चराई, लघु वनोपज संग्रहण आदि सीधे प्रभावित क्षेत्र माना जाना चाहिए।

परन्तु प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र किसी खान या खान समूह से ऐसी परिधि के भीतर का क्षेत्र है, जिसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किन्तु यह क्षेत्र गौण खनिजों से भिन्न खनिजों की खानों की सीमा से 15 किलोमीटर से अधिक विस्तारित नहीं होगा।

ख. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र–वे क्षेत्र हैं जहाँ स्थानीय आबादी गौण खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के खनन–संबंधी कार्यों के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। खनन के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव जल, मिट्टी और वायु की गुणवत्ता में गिरावट, धारा प्रवाह में कमी और भूजल की कमी, खनन कार्यों के कारण संकुलन और प्रदूषण, खनिजों के परिवहन, मौजूदा बुनियादी ढाँचे और संसाधनों पर बढ़ते बोझ हो सकते हैं।

अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र से परे है तथा किसी खदान या खदानों के समूह से ऐसी परिधि के भीतर है जिसे राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है लेकिन गौण खनिजों के अतिरिक्त अन्य खनिजों की खदानों की सीमा से 25 किमी से अधिक दूर नहीं, चाहे वह संबंधित जिले या समीपवर्ती जिले में आता हो।

ग. डीएमएफ ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा।

1.2 प्रभावित लोग

क. निम्नलिखित में प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति शामिल होंगे:

i. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर (मुआवजा) और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 3 (ग) के अंतर्गत यथा परिभाषित 'प्रभावित परिवार'

ii. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 3 (ट) के अंतर्गत यथापरिभाषित 'विस्थापित परिवार'

iii. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में संबंधित ग्राम सभा/यू. एल.बी. द्वारा उचित रूप से चिह्नित कोई अन्य।

ख. खनन प्रभावित व्यक्तियों में वे लोग शामिल होने चाहिए जिनके पास खनन की जाने वाली भूमि पर कानूनी और व्यावसायिक अधिकार हैं, जिनके पास भोगाधिकार और पारंपरिक अधिकार हैं, और वे लोग जिनकी आजीविका खनन के कारण प्रभावित हुई है।

ग. जहाँ तक संभव हो, प्रभावित परिवारों की पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के स्थानीय/निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से की जानी चाहिए।

घ. डीएमएफ ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा। सूची को अद्यतन करने के लिए हर 5 वर्ष में कम से कम एक बार फिर से देखा जाएगा।

2. सामान्य दिशानिर्देश

क. **योजनाओं का अभिसरण**– पीएमकेकेकेवाई के तहत की जाने वाली विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियाँ, जहाँ तक संभव हो, राज्य के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक स्वरूप की होनी चाहिए। 'प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत' के तहत की जाने वाली गतिविधियाँ पीएमकेकेकेवाई के तहत नहीं की जानी चाहिए। हालाँकि, फाउंडेशन की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य और जिला योजनाओं के साथ अभिसरण प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा ताकि फाउंडेशन द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ विकास और कल्याण गतिविधियों की पूरक बने और इन्हें राज्य योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में माना जा सके। डीएमएफ खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए

चल रही केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। योजनाएँ बनाते समय, डीएमएफ आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देंगे।

ख. **परियोजना प्रबंधन इकाई**— फाउंडेशन की वार्षिक प्राप्तियों के 5% से अनधिक राशि का उपयोग फाउंडेशन के प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और ऊपरी लागतों के लिए किया जा सकेगा। जहाँ तक संभव हो, जिला खनिज फाउंडेशन के तहत कोई अस्थायी/स्थायी पद का सृजन नहीं किया जाना चाहिए। फाउंडेशन द्वारा अस्थायी/स्थायी पदों के सृजन और वाहन की खरीद के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। हालांकि, न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर लगाया जा सकेगा डीएमएफ की क्षमता बढ़ाने और डीएमएफ निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए, 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक संग्रह के साथ डीएमएफ योजना, तकनीकी, लेखांकन और अनुश्रवण सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करेगा और ऐसे पीएमयू की लागत प्रशासनिक खर्चों से पूरी की जा सकेगी। पीएमयू अनुबंध के आधार पर आवश्यक योग्य श्रमशक्ति को लगा सकेगा। पीएमकेकेकेवाई के तहत परियोजनाओं के लिए कर्मियों की नियुक्ति सीमित अवधि के लिए पूर्णतः संविदात्मक होगी।

ग. **स्थायी निधि**— सतत आजीविका प्रदान करने के लिए वार्षिक प्राप्तियों के 10% से अनधिक की उचित राशि को स्थायी निधि के रूप में रखा जाना चाहिए। 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक वार्षिक संग्रह वाले जिलों को स्थायी निधि बनाए रखनी चाहिए। स्थायी निधि को सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों और अनुसूचित बैंकों की एफडी तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमत अन्य साधनों में निवेश किया जा सकता है। स्थायी निधि का उपयोग उन क्षेत्रों में आजीविका के सृजन और उसे बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए जहां खनिज की कमी सहित किसी भी कारण से खनन गतिविधि बंद हो गई है।

घ. **एक से अधिक जिलों में प्रभावित क्षेत्र** — यदि एक जिले में खदान का प्रभावित क्षेत्र दूसरे जिले की अधिकारिता में भी आता है (भले ही वह दूसरे राज्य में हो), तो फाउंडेशन द्वारा खदान से एकत्रित राशि का ऐसा प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रों के अनुपात में, ऐसे क्षेत्रों में गतिविधियाँ शुरू करने के लिए संबंधित दूसरे जिले के फाउंडेशन को अंतरित किया जाएगा। ऐसी परियोजना जो प्रभावित क्षेत्र/लोगों के लाभ के लिए है, लेकिन जिले की भौगोलिक सीमा से परे फैली हुई है, उसे पीएमकेकेकेवाई के तहत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लिया जाना चाहिए।

ङ. कार्यों / अनुबंधों का कार्यान्वयन

i. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद डीएमएफ द्वारा कार्य/सामान क्रय किया जा सकेगा। जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ii. सभी निष्पादन एजेंसियों और लाभार्थियों को निधि का हस्तांतरण केवल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जाएगा।

3. निधियों का उपयोग

3.1 पीएमकेकेकेवाई का दायरा

पीएमकेकेकेवाई में नीचे सूचीबद्ध गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं:

3.1.1 **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र – पीएमकेकेकेवाई निधि का कम से कम 70% इन क्षेत्रों के अंतर्गत उपयोग किया जाएगा:**

क. **पेयजल आपूर्ति**– केंद्रीकृत शुद्धिकरण प्रणाली, जल शोधन संयंत्र, पेयजल के लिए स्टैंडअलोन सुविधाओं सहित स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, पाइप जलापूर्ति प्रणाली बिछाना।

ख. **पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय**– बहिःस्राव शोधन संयंत्र, क्षेत्र में नदियों, झीलों, तालाबों, भूजल, अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण का निवारण, खनन कार्यों और डंपों के कारण होने वाले वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खदान जल निकासी प्रणाली, खदान प्रदूषण निवारण तकनीकें, तथा पर्यावरण के अनुकूल और सतत खदान विकास के लिए आवश्यक कार्यरत या परित्यक्त खदानों और अन्य वायु, जल और सतह प्रदूषण नियंत्रण तंत्रों के लिए उपाय। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों/शोध संस्थानों को शामिल करके खनिज–विशिष्ट प्रदूषकों और उनके खतरे की क्षमता की पहचान की जा सकेगी। खतरों की पहचान, वायु गुणवत्ता मॉनिटर और डिस्प्ले स्थापित करने और शोध की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए निधि आवंटित की जा सकेगी।

ग. **स्वास्थ्य सेवा**– खनन के कारण प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। केवल स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ही जोर नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक स्टाफ (डॉक्टर/पैरामेडिकल/सहायक कर्मचारी), उपकरण और आपूर्ति के प्रावधान पर भी होना चाहिए। इस सीमा तक, स्थानीय निकाय राज्य और केन्द्र सरकार के मौजूदा स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ अभिसरण करने तथा पूरक के रूप में काम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। खनन से संबंधित बीमारियों और रोगों की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना को डिजाइन करने, खनन प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य सेवा इकाइयों के लिए राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के पास उपलब्ध विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जा सकेगा, खनन प्रभावित

व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा हेतु समूह बीमा योजना लागू की जा सकेगी।

घ. **शिक्षा**– प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों के लिए स्कूल/कॉलेज/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भवन, अतिरिक्त वर्ग कक्ष, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कला और शिल्प कक्ष, शौचालय ब्लॉक, पेयजल का प्रावधान आवासीय विद्यालय, आवासीय छात्रावास और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षक, खेल अवसंरचना, शिक्षकों/अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति, ई–लर्निंग सेटअप, परिवहन सुविधाओं की अन्य व्यवस्था (बस/वैन/साइकिल/रिक्शा आदि) तथा पोषण संबंधी कार्यक्रम। प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों को सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता।

ङ **महिलाओं और बच्चों का कल्याण**– मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रामक रोगों आदि की समस्याओं के समाधान के लिए पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम चलाए जा सकेंगे।

च. **वृद्धों एवं दिव्यांगों का कल्याण** – वृद्धों एवं दिव्यांगों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम एवं चिकित्सा सहायता तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) को वित्तीय सहायता।

छ. **कौशल विकास और आजीविका सृजन**– स्थानीय पात्र व्यक्तियों हेतु आजीविका सहायता, आय सृजन और आर्थिक गतिविधियों के लिए कौशल विकास/ परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण, प्रशिक्षण किट, कौशल विकास केंद्र का विकास, उद्भवन केंद्र, स्वरोजगार योजनाएँ, स्वयं सहायता समूहों को सहायता और ऐसी स्वरोजगार आर्थिक गतिविधियों के लिए आगे और पीछे के लिंकेज का प्रावधान, प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की कला और शिल्प को बेहतर बनाने और प्रदर्शित करने के लिए कार्य, लघु वन उपज का संग्रहण और प्रसंस्करण शामिल हो सकते हैं।

ज. **स्वच्छता**– संग्रहण, अपशिष्ट का परिवहन और निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, उचित जल निकासी और सीवेज शोधन संयंत्र की व्यवस्था, मल–मूत्र के निपटान की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था और अन्य संबंधित गतिविधियाँ।

झ. **आवासन**– केंद्रीय या राज्य योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित न होने वाले खनन प्रभावित लोगों के लिए पक्के आवास का प्रावधान।

ञ. **कृषिः** कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी से संबंधित गतिविधियाँ। प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सहायता, एफपीओ/सामूहिक/सहकारी सोसाइटियों को सहायता, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता, शीत गृह, बाजार, यार्ड आदि जैसी विपणन सुविधाएँ, वृक्षारोपण, औषधीय जड़ी–बूटियों का प्रसंस्करण।

ट. **पशुपालनः** पशुधन, मुर्गीपालन, सूअरपालन, मत्स्यपालन, चारा को बढ़ावा देना और चारा विकास तथा पशुपालन में नवाचार का समर्थन, किसान

उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान सहकारी संगठन (एफसीओ)।

3.1.2 **अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र– इन क्षेत्रों के अंतर्गत पीएमकेकेकेवाई निधि का 30% तक उपयोग किया जाएगा**

क. **भौतिक अवसंरचना**– आवश्यक भौतिक अवसंरचना– सड़क, पुल, रेलवे और जलमार्ग परियोजनाएँ उपलब्ध कराना।

ख. **सिंचाई** – चेक डैम और डायवर्सन (व्यपवर्तन) बाँधों सहित सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, उपयुक्त और उन्नत सिंचाई तकनीकों को अपनाना, ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता, बोरवेल और पंप ऊर्जाकरण के लिए सहायता।

ग. **ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास**– ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों (सूक्ष्म–जलविद्युत, विकेन्द्रित सौर या अन्य नवीकरणीय स्रोतों सहित) तथा वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास। बागों का विकास, एकीकृत खेती और कृषि वानिकी तथा जलग्रहण क्षेत्रों का पुनरुद्धार।

घ. खनन प्रभावित जिले में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

3.2 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में निधियों का वितरण

क. डीएमएफ निधि का न्यूनतम 70% केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में खर्च किया जाएगा जैसा कि 1. (1.1) (क) में विनिर्दिष्ट है।

4. **डीएमएफ की संरचना और कार्य**

जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और कार्य राज्य सरकार द्वारा राज्य डीएमएफ नियमावली में विहित किए जाएँगे। राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र नियमावली में निम्नलिखित को शामिल करेंगे –

i. जिले का जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलक्टर शासी परिषद् और प्रबंध समिति का अध्यक्ष होगा। कोई अन्य व्यक्ति शासी परिषद और/या प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा।

ii. यदि किसी जिले में एक संसद सदस्य (एमपी) है, तो उस जिले का लोकसभा सांसद शासी परिषद् का सदस्य होगा। यदि किसी जिले में लोकसभा के एक से अधिक सांसद हैं, तो खनन प्रभावित क्षेत्रों वाले सभी सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में शासी परिषद के सदस्य होंगे।

iii. यदि किसी लोक सभा सांसद का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में पड़ता है, तो लोक सभा सांसद ऐसे सभी जिलों की शासी परिषद का सदस्य होगा जहां खनन प्रभावित क्षेत्र उसके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है।

iv. किसी राज्य से राज्यसभा का सांसद उसके द्वारा चुने गए एक जिले की शासी परिषद का सदस्य होगा। (राज्यसभा सांसद अपने द्वारा चुने गए जिले का नाम राज्य के खनन विभाग के प्रभारी

सचिव को बताएगा, जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त/ कलक्टर को सूचित करेगा)।

V. खनन प्रभावित क्षेत्र वाले जिले के विधान सभा सदस्य (विधायक) शासी परिषद के सदस्य होंगे। यदि किसी विधायक का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में आता है, तो विधायक उन सभी जिलों की शासी परिषद का सदस्य होगा, जहां खनन प्रभावित क्षेत्र उसके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है।

ii. राज्य विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) अपने द्वारा चुने गए एक जिले की शासी परिषद के सदस्य होंगे। (एमएलसी अपने द्वारा चुने गए जिले का नाम राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करेंगे, जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलक्टर को सूचित करेंगे)।

vii. शासी परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। शासी परिषद की बैठक की तिथि शासी परिषद् के संसद सदस्यों की सुविधा के अनुसार तय की जाएगी।

viii. डीएमएफ की प्रबंध समिति में जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलक्टर अध्यक्ष होंगे तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार जिले के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे। प्रबंध समिति में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि या मनोनीत गैर–सरकारी सदस्य नहीं होगा।

ix. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

5. पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना

सभी प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरी तरह से कवर करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना आवश्यक है। जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधियों का उपयोग करते हुए कार्यों के कार्यान्वयन हेतु निधियों के उचित उपयोग के लिए:

i. जिला परिप्रेक्ष्य योजना नियमन के लिए शैक्षणिक संस्थानों/प्रसिद्ध संगठनों/एजेंसियों के माध्यम से एक आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करेंगे। ग्राम सभा/स्थानीय निकाय आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। डीएमएफ किसी भी विभाग द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण का भी उपयोग कर सकता है, यदि उपलब्ध हो। सर्वेक्षणों के संदर्भ और प्रमुख निष्कर्षों को जिले के लिए पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत परिप्रेक्ष्य योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

ii. आधारभूत सर्वेक्षण या ऐसे किसी सर्वेक्षण/मूल्यांकन के माध्यम से पहचाने गए निष्कर्षों और कमियों के आधार पर, डीएमएफ पाँच वर्ष के लिए एक रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किया जाएगा। पंचवर्षीय की परिप्रेक्ष्य योजना पाँच वर्ष की अवधि में डीएमएफ में उपलब्ध वर्तमान शेष राशि और संभावित प्रोद्भवन को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। पंचवर्षीय की परिप्रेक्ष्य योजना को वर्षवार कार्य योजनाओं में विभाजित किया जाएगा।

iii. पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना में सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण आदि तथा अन्य क्षेत्रों जैसे सड़क, सिंचाई आदि पर अलग–अलग अनुभाग होंगे।

iv. पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को डीएमएफ की शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा डीएमएफ की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

V. डीएमएफ की वार्षिक योजनाएँ, जिन्हें प्रत्येक वर्ष शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और पिछले वर्षों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में प्राप्त सफलता पर आधारित होंगी। वार्षिक योजनाओं में कुछ अन्य कार्य और व्यय शामिल हो सकते हैं, जिन्हें तत्काल प्रकृति का माना जाता है, हालाँकि उन्हें परिप्रेक्ष्य योजना में वार्षिक योजना के अधिकतम 10% की सीमा तक शामिल नहीं किया जाता है।

vi. राज्य सरकार आधारभूत सर्वेक्षण करने तथा पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए प्रसिद्ध संगठनों/एजेंसियों/विश्वविद्यालयों को पैनल में शामिल कर सकती है।

vii. शासी परिषद् पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना को मंजूरी देगी जिसमें वित्तीय वर्षों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की सूची शामिल होगी।

6. **डीएमएफ से निधि अंतरण पर प्रतिबंध** – जिलों के डीएमएफ निधि के संबंध में:

i. जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में अधिनियम की धारा 9ख के उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा;

ii. जिला खनिज फाउंडेशन से किसी भी तरह से कोई भी निधि राज्य कोष या राज्य स्तरीय निधि (चाहे किसी भी नाम से अभिहित किया जाए) या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य निधि या योजना में अंतरित नहीं की जाएगी; तथा

iii. जिला खनिज फाउंडेशन की निधि से किसी भी व्यय की मंजूरी या अनुमोदन राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर नहीं किया जाएगा।

iv. किसी जिले के भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के बाहर या धारा 1.1 में परिभाषित प्रभावित लोगों के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए कोई भी निधि खर्च नहीं की जाएगी।

V. धारा 2(घ) में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी भी तरीके से एक जिले से दूसरे जिले में कोई भी निधि अंतरित नहीं की जाएगी।

vi. डीएमएफ से निधियों के व्यय की स्वीकृति केवल डीएमएफ की शासी परिषद् के पास होती है। राज्य सरकार या राज्य स्तरीय समिति (चाहे किसी भी नाम से अभिहित किया जाए) के पास परियोजनाओं की स्वीकृति, निधियों/व्यय की स्वीकृति पर व्यापक अधिकार नहीं होगा और

उनका कार्य पीएमकेकेकेवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन अनुश्रवण तक सीमित होगा।

7. **अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान**

अनुसूचित क्षेत्रों में पीएमकेकेकेवाई निधियों के उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की अनुसूची V और अनुसूची VI के साथ अनुच्छेद 244 में निहित उपबंधों और पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों द्वारा निर्देशित होगी।

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित खनन से प्रभावित गाँवों के संबंध में:

क. ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा

i. पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शुरू की जाने वाली सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए।

ii. सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत लाभार्थियों की पहचान।

ख. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद संबंधित गाँव में पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत किए गए कार्यों की रिपोर्ट ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी।

[ग्राम सभा से वही अभिप्रेत होगा जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 40) के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ उसे दिया गया है]

8. **पारदर्शिता और जवाबदेही**

क. प्रत्येक फाउंडेशन एक वेबसाइट तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा/या जिला प्रशासन की वेबसाइट पर एक विशिष्ट अनुभाग तैयार करेगा, जिस पर अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित जानकारी होस्ट की जाएगी और उसे अद्यतन रखा जाएगा: –

i. डीएमएफ की शासी परिषद् और प्रबंध समिति/जिस नाम से अभिहित किया जाए, की संरचना का विवरण।

ii. खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सूची (आवधिक अद्यतनीकरण सहित)।

iii. पट्टेदारों एवं अन्य लोगों से प्राप्त सभी अंशदानों का त्रैमासिक विवरण।

iv. डीएमएफ की सभी बैठक की कार्यसूची, कार्यवृत्त और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)।

v. 5 वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना, स्थायी निधि के निवेश का विवरण, वार्षिक योजना और बजट, कार्य आदेश और वार्षिक रिपोर्ट दस्तावेज जारी होने के 30 दिनों के भीतर।

vi. पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत चल रहे सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की कार्यान्वयन स्थिति/प्रगति की ऑनलाइन स्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसमें कार्य का विवरण, लाभार्थियों का विवरण,

अनुमानित लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम, कार्य शुरू होने और पूरा होने की अपेक्षित तिथि, पिछली तिमाही तक की वित्तीय और भौतिक प्रगति आदि शामिल होनी चाहिए।

vii. विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची।

viii. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

ख. प्रत्येक फाउंडेशन को परियोजना स्थल पर नोटिस बोर्ड पर परियोजना का विवरण और स्वीकृत राशि प्रदर्शित करनी होगी।

ग. सोशल मीडिया, फिल्मों, वीडियो आदि के माध्यम से पीएमकेकेकेवाई के तहत कार्यान्वित योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।

घ. जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधियों के जमा और कार्यों के कार्यान्वयन सहित डीएमएफ के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी राज्य सरकार और खान मंत्रालय, भारत सरकार के साथ विहित फॉर्मेट और विनिर्दिष्ट तरीके से साझा करेगा।

च. केंद्र सरकार डीएमएफ के प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगी, जिसमें परियोजनाओं की मंजूरी, निधि जारी करना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण शामिल है। प्रत्येक डीएमएफ अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही परियोजनाओं की मंजूरी, निधि जारी करना और निष्पादन का अनुश्रवण करेगा।

9. **लेखापरीक्षा**

क. डीएमएफ के खातों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

ख. डीएमएफ के खातों का हर साल डीएमएफ द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से लेखापरीक्षा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के साथ सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाएगी।

10. **वार्षिक रिपोर्ट**

क. प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर, डीएमएफ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाएगा और उसे डीएमएफ के समक्ष रखेगा।

ख. वार्षिक रिपोर्ट डीएमएफ द्वारा अनुमोदन की तिथि से एक माह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी तथा इसे फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

ग. प्रत्येक फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

11. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति

क. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति" गठित की जाएगी, जिसमें कार्यकारी विभागों, वित्त और योजना विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के खान मंत्रालय का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

ख. भूतत्त्व एवं खनन विभाग या राज्य में डीएमएफ की निगरानी के लिए नियुक्त किसी अन्य विभाग के सचिव "राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति" के सदस्य सचिव होंगे।

ग. भूतत्त्व एवं खनन निदेशालय या राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया कोई भी निदेशालय राज्य में डीएमएफ की गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए "राज्य स्तरीय नोडल डीएमएफ सेल" नामक एक सेल का गठन करेगा और राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

घ. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति डीएमएफ के प्रदर्शन और पारदर्शिता मानदंडों के अनुपालन, लेखापरीक्षा और डीएमएफ के वार्षिक रिपोर्ट का अनुश्रवण करेगी।

च. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

12. शिकायत निवारण

क. डीएमएफ एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार करेगा और उसे क्रियान्वित करेगा ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण हो सके, और कलक्टर या किसी अन्य पदाधिकारी, जिसे अधिसूचित किया जाए, को शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उपयुक्त उत्तर दिया जा सके।

ख. राज्य सरकार किसी भी शिकायत/लोक शिकायत प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक शिकायत का निवारण डीएमएफ द्वारा किया जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतकर्ता को उपयुक्त उत्तर दिया जाए।

ग. डीएमएफ निधियों के अनुचित उपयोग, परियोजनाओं के खराब कार्यान्वयन या पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में केन्द्र सरकार, किसी भी शिकायत/लोक शिकायत प्राप्त होने पर–

i. शिकायत पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को भेज सकेगा। राज्य सरकार भारत सरकार से संदर्भ प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ii. वैकल्पिक रूप से, यदि वह उचित समझे तो केन्द्र सरकार ऐसी शिकायत पर केन्द्रीय टीम अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा जाँच करा सकेगी।

iii. राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट या केन्द्रीय टीम या तीसरे पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केन्द्र सरकार राज्य सरकार को ऐसे निर्देश प्राप्त होने के एक माह के भीतर आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश देगी।

iv. राज्य सरकार सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

13. **अनुपालन तंत्र**

क. यदि डीएमएफ –

i. धारा 2 (ग) में यथा अधिदेशित स्थायी निधि बनाए रखने में विफल रहता है।

ii. धारा 6 का उल्लंघन करके कोई निधि अंतरित करता है

iii. धारा 8 के किसी भी खंड का अनुपालन करने में विफल रहता है

iv. धारा 9 (ख) में यथा अधिदेशित खातों की लेखापरीक्षा कराने में विफल रहता है

v. धारा 10 में यथा अधिदेशित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने में विफल रहता है

vi. धारा 12 में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है

राज्य सरकार या केन्द्र सरकार निर्देश दे सकेगी –

ख. किसी या सभी नए कार्यों की मंजूरी या पहले से स्वीकृत किसी या सभी कार्यों के निष्पादन का निलंबन; और/या उन बैंकों द्वारा किसी या सभी कार्यों के लिए धनराशि जारी करने का निलंबन जहां डीएमएफ निधि जमा है या निष्पादन एजेंसियों के बैंक खाते द्वारा जहां डीएमएफ से धनराशि अंतरित की गई है।

ग. राज्य सरकार या केन्द्र सरकार, यह संतुष्ट होने के पश्चात कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर लिए गए हैं, ऐसे निलंबन को वापस ले सकेगी।

घ. यदि उपर्युक्त ख या ग के अंतर्गत कोई निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है तो ऐसे निर्देश को वापस लेने का कार्य केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा।

***